

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(14)वित्त/कर/2020

जयपुर, दिनांक 08.10.2020

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के नियम 24 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2019-20 की दिनांक 24.10.2019 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में सम्पन्न बैठक की अभिशंषा पर श्री आनन्द कुमार गंडडिया, वाणिज्यिक कर अधिकारी का सुसंगत पूर्ण रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण, उनके संबंध में निर्णय आस्थगित (DEFER) रखते हुए, एक पद आरक्षित रखे जाने की अनुशंसा की गई थी।

श्री आनन्द कुमार गंडडिया, वाणिज्यिक कर अधिकारी के बकाया एपीएआर उपलब्ध हो गये हैं। अतः आस्थगित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.09.2020 में की गई अभिशंषा पर श्री आनन्द कुमार गंडडिया को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक आयुक्त के पद पर दिनांक 01.04.2019 से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। वर्ष 2019-20 की चयन सूची में इनका नाम श्री कुलदीप कुमार गुप्ता के ऊपर रहेगा।

यह पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी.रिट पिटीशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sol-
(डॉ. पृथ्वी)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)